

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 23/2023

निर्णय दिनांक :- 15/6/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. धर्मराज माली पुत्र कालूराम जाति माली निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. भंवरलाल माली पुत्र कालूराम जाति माली निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थीगण-

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री महावीर सिंह राठोड़  
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 1378 खसरा नम्बर 3687 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि पर पडोसियों ने नाजायज रूप से फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर अमादा है। तथा सीमा चिन्हों को अपने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण प्रार्थी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि पडोसी खातेदार प्रार्थी की भूमि को अपने खेतों में नही मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है।


आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद है। जिन खातेदारों  
विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं  
अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय  
स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की  
प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया।  
तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः  
तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी  
खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष  
में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2073-76 में अंकित खाता संख्या 1378 खसरा नम्बर  
3687 रकबा 0.63 है० वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत्  
पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा  
उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली